न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 100/2019/आवेदन 136 एलआर एक्ट

1. गणेशराम
2. सत्येन्द्र सिंह } पुत्रगण हरजीराम उर्फ अर्जुनराम
3. रामस्वरूप
3. पतासीदेवी पुत्री हरजीराम उर्फ अर्जुनराम
4. केशरदेवी पत्नि स्व0 हरजीराम उर्फ अर्जुनराम

समस्त जाति जाट निवासीगण अमानीपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

––प्रार्थीगण

ब ना म

1. राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी

आवेदन अं.धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम वकील प्रार्थीगण की ओर सें।

नि र्ण य — दिनांक – 19.12.2019

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां खसरा नम्बर 109, 114, 115 किता 3 कुल रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.04 हैक्टर वाके ग्राम अमानीपुरा पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थीगण के पुश्तैनी हक हिस्सा इनके पिता/पति के नाम सें दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 102, 103, 104, 104/547, 105, 318, 321 ता 328, 337 ता 342, 69, 69/546 किता 22 कुल रकबा 16.21 हैक्टर, एवं भूमि खसरा नम्बर 100, 70, 71, 73 ता 77 व अन्य वाके ग्राम अमानीपुरा पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थीगण के पुश्तैनी हक हिस्से की खातेदारी इनके पिता/पति हरजीराम उर्फ अर्जुनराम पुत्र नाथूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण के पिता/पति को दो नामों यथाः हरजीराम व अर्जुनराम के नाम सें जाना, पहचाना व पुकारा जाता था। उक्त अर्जुनराम का स्वर्गवास दिनांक 17.05.2016 को हो चुका है। प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम हरजीराम पुत्र नाथूराम जाति जाट सा0देह खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में चला आ रहा है तथा अन्य रिकॉर्ड मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में अर्जुनराम पुत्र नाथूराम जाति जाट अंकित है। प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अलग अलग दर्ज होने की वजह सें आज तक विरासत का नामांतकरण नहीं भरा जा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

सका। इस संबंध में कई बार अप्रार्थी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से प्रार्थीगण निवेदन कर चुके है जिस पर आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नही हुई है अतः नाम दुरूस्ती हेतु आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण की ओर से आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजियात खसरा नम्बर 109, 114 , 115 किता 3 कुल रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.89 है0, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.02 है0, व भूमि खसरा नम्बर 72 रकबा 004 हैक्टर वाके ग्राम अमानीपुरा पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम हरजीराम पुत्र नाथूराम को दुरूस्त कर हरजीराम उर्फ अर्जुनराम पुत्र नाथूराम संशोधित कर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। आवेदन पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम हरजीराम पुत्र नाथूराम के स्थान पर हरजीराम उर्फ अर्जुनराम पुत्र नाथूराम किया जाना न्यायोचित है अतः उक्त दुरूस्तीकरण किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो, तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 109, 114, 115 किता 3 कुल रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.89 है0, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.02 है0, व भूमि खसरा नम्बर 72 रकबा 004 हैक्टर वाके ग्राम अमानीपुरा पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम हरजीराम पुत्र नाथूराम के स्थान पर हरजीराम उर्फ अर्जुनराम पुत्र नाथूराम दर्ज करने के आदेश दिया जाता है शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner